न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 -62/2021(2022/91)
अनवान : -

1. बिलासाराम पुत्र कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।वादी

बनाम

1. रणवीर पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
2. राजमल पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
3. राकेशपुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
4. मनोहरलालपुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
5. कमला पुत्री स्व. कुरड़ाराम पत्नी राजेन्द्र जाति यादव निवासी भोजासर हाल मनीयावाली तह0 सादुलशहर मटीली जिला श्री गंगानगर राज0
6. कलावती पुत्री कुरड़ाराम पत्नी सुरेन्द्र सिंह ढ़ाणी श्यामलाल तह0 जिला हिसार हरियाणा।
7. ओपल उर्फ सन्तोश पुत्री कुरड़ाराम पत्नी मोहनलाल जाति यादव निवासी भोजासर हाल मनीयावाली तह0 सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
8. कृष्ण पुत्र स्व. ईश्वर जाति यादव निवासी चक भोजासर तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
9. पुष्पा पुत्री स्व.ईश्वर पत्नी विनोद जाति यादव निवासी भोजासर तह0 हाल मनीयावाली तह0 सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
10. सरोज पुत्री स्व. ईश्वर पत्नी श्याम सुन्दर जाति यादव निवासी भोजासर हाल मिसरी तह0 चरखीदादरी जिला भिवानी हरियाणा।
11. कुलदीप पुत्र स्व. ईश्वर जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा। प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री योगेश शर्मावादी
श्री जाकिर हुसैन प्रतिवादीगण 1ता 11

निर्णय दिनांकः 18/4/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता स0 93/10 के मुरब्बा न0 51 के किला न0 18,19,20,21,22,23, मु0न0 52 के किला न0 52 के किला न0 16,25, मु0न0 53 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25, मु0न0 54 के किला न0 1, 2, 3, 6 ता 25 मु0न0 62 किला न0 1 ता 5, मु0न0 63 के किला न0 3, 4, 5 इस प्रकार कुल किता 54 कुल क्षैत्रफल 13. 6620 हैक्टैयर, कृशि भूमि में श्योलाल व कुरड़ा का 1/8 बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार चक 7 बरानी के खाता स0 146/9 के मु0न0 3 के किला न0 3,4,5, मु0न0 4 के किला न0 1, 2, 9 कुल 1.5180 हैक्टेयर में श्योलाल व कुरड़ा का 1/8 बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

श्योलाल का देहान्त 19.6.1977 को व उसकी पत्नी जहरो का देहान्त 1.10.1984 को चुका है, श्योलाल व जहरो के कोई पुत्र या पुत्री सन्तान नही थी, दोनो लाओलाद फोत हुए थे। श्योलाल व जहरों वादी से काफी स्नेह रखते थे और उनका वादी से

काफी लगाव था जिसके चलते वे वादी के पास ही रहते थे और वादी को अपने पुत्र तुल्य मानते थे, वादी भी श्योलाल व जहरो को अपने माता पिता के सामान ही दर्जा देता था, श्योलाल के देहान्त के बाद जहरों वादी के पास रही और श्योलाल की कृशि भूमि जो 3–4 चकों में थी में से कुछ का विरासतन नामान्तरण जहरों के पक्ष में श्योलाल की पत्नी होने के नाते दर्ज हो गया, लेकिन कुछ का नामान्तरण उसके पक्ष में जहरों के अनपढ़ होने कारण सहबन से रह गया, चुंकि जहरों वादी से काफी स्नेह रखती थी और वादी ही उसकी सेवा व आज्ञा का पालन करता था जिसके चलते जहरों ने अपनी मृत्यु से पूर्व वादी के पक्ष में दिनांक 1.3.1984 को रजिस्टर्ड वसीयत करवा दी, जहरों की मृत्यु के बाद जिन जिन चकों की कृशि भूमि में उसका नाम दर्ज था उसका नामान्तरण वसीयत दिनांक 1.3.1984 के अनुसार तहसील राजस्व भादरा द्वारा वादी के पक्ष में कर दिया गया, लेकिन जिनमें श्योलाल का नाम अभी तक दर्ज है उसका नामान्तरण वादी के पक्ष में नही किया, जबकि कानुनानुसार श्योलाल के देहान्त के बाद बाई ऑटोमेटिक ऑपरेषन ऑफ लॉ जहरों श्योलाल के नाम दर्ज समस्त सम्पति की एक मात्र कानुनी अधिकारी थी और उसे उस सम्पति की वसीयत व प्रबन्ध करने का कानुनी अधिकार था, इसी अधिकार के चलते उसने वादी के पक्ष में बिना समय गवाएं अपनी चल व अचल सम्पति की वसीयत कर दी, इसलिए वादी घोशणा करवाने का अधिकारी है चक 1 एमएसआर के खाता स0 93/10 की कुल 13.6620 हैक्टैयर में श्योलाल के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा का व चक 7 बरानी के खाता स0 146/9 की कुल 1.5180 हैक्टेयर में दर्ज श्योलाल के 1/16 हिस्सा का, श्योलाल के स्थान पर वादी खातेदार कास्तकार है बाद घोशणा राजस्व रिकार्ड से श्योलाल का नाम कलमजन करवाकर वादी का नाम दर्ज किया जावें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 कि और वकील श्री जाकिर हुसैन ने अपना वकालतनामा व इकबाल जवाब पेश किया तथा राजस्थान सरकार कि और से राजपेरोकार ने अपना जवाब पेश किया जो षामिल पत्रावली है, चुंकि प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 ने अपना इकबाल जवाब पेश करते हुए वादी के वाद का विरोध नही किया व वादी के वाद को स्वीकार किया इसलिए तनकियात कायम नही कि गई, और साक्ष्य वादी में वादी ने अपने साक्ष्य में स्वयं का व गवाह महावीर पुत्र लेखराम का शपथ पत्र पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली है, वादी ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 1 एमएसआर व जमाबंदी चक 7 बरानी प्रदर्ष की व वारीस प्रमाण ग्राम पंचायत भोजसर प्रदर्षित करवाया व नामान्तरण चक 2 बीएचडी व 1 बीएचडी प्रदर्ष करवाए जो प्रदर्श 01 ता 08 है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित करवाए तथ्यों को दोहराया व वाद वादी डिकी किए जाने का निवेदन किया व साथ ही कानुनी नजीरे पेश की।

खण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया व साथ ही वादी द्वारा पेश दस्तावेजों का व कानुनी नजीरों का सम्मान ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत दावा में जहरों द्वारा दिनांक 1.3.1984 को जो वसीयत वादी के पक्ष में निशपादित कि गई है वह सब रजिस्टार भादरा के यहां रजिस्टर्ड है और इसी वसीयत के आधार पर वादी के पक्ष में जहरों व श्योलाल की कृशि भूमि जो चक 2 बीएचडी व चक 1 बीएचडी में स्थित थी का

नामान्तरण भी पूर्व में हो चुका है और उक्त नामान्तरण की प्रमाणित प्रतियों पत्रावली पर उपलब्ध और प्रदर्ष भी है, चुंकि जहरों व श्योंलाल के कोई सन्तान नही थी, इसलिए उसके भाई कुरड़ाराम के वारीसान जो कि वादी के भाई बहन व भतीजे आदि है जो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी उतराधिकारी है ने उक्त वसीयत दिनांक 1.3.1984 को होना स्वीकार करते हुए वादी के वाद को स्वीकार किया है।

इस प्रकार वादी ने अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित किया है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिकी जाता है, तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 एमएसआर के खाता स0 93/10 के मुरब्बा न0 51 के किला न0 18,19,20,21,22,23, मु0न0 52 के किला न0 52 के किला न0 16,25, मु0न0 53 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25, मु0न0 54 के किला न0 1, 2, 3, 6 ता 25 मु0न0 62 किला न0 1 ता 5, मु0न0 63 के किला न0 3, 4, 5 इस प्रकार कुल किता 54 कुल क्षेत्रफल 13.6620 हैक्टैयर, कृषि भूमि में श्योलाल के 1/16 हिस्सा का, श्योलाल के स्थान पर वादी खातेदार कास्तकार व इसी प्रकार चक 7 बरानी के खाता स0 146/9 के मु0न0 3 के किला न0 3,4,5, मु0न0 4 के किला न0 1, 2, 9 कुल 1. 5180 हैक्टेयर में श्योलाल के 1/16 हिस्सा का, श्योलाल के स्थान पर वादी खातेदार कास्तकार है व इसीनुसार श्योलाल का नाम उपरोक्त राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर श्योलाल के स्थान पर वादी का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिकी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —62 / 2021(2022 / 91)

अनवान : —

1. बिलासाराम पुत्र कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा। —वादी

बनाम

1. रणवीर पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
2. राजमल पुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
3. राकेशपुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
4. मनोहरलालपुत्र स्व. कुरड़ाराम जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
5. कमला पुत्री स्व. कुरड़ाराम पत्नी राजेन्द्र जाति यादव निवासी भोजासर हाल मनीयावाली तह0 सादुलशहर मटीली जिला श्री गंगानगर राज0
6. कलावती पुत्री कुरड़ाराम पत्नी सुरेन्द्र सिंह ढ़ाणी श्यामलाल तह0 जिला हिसार हरियाणा।
7. ओपल उर्फ सन्तोश पुत्री कुरड़ाराम पत्नी मोहनलाल जाति यादव निवासी भोजासर हाल मनीयावाली तह0 सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
8. कृष्ण पुत्र स्व. ईश्वर जाति यादव निवासी चक भोजासर तह0 भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
9. पुष्पा पुत्री स्व.ईश्वर पत्नी विनोद जाति यादव निवासी भोजासर तह0 हाल मनीयावाली तह0 सादुलशहर जिला श्री गंगानगर राज0
10. सरोज पुत्री स्व. ईश्वर पत्नी श्याम सुन्दर जाति यादव निवासी भोजासर हाल मिसरी तह0 चरखीदादरी जिला भिवानी हरियाणा।
11. कुलदीप पुत्र स्व. ईश्वर जाति यादव निवासी भोजासर तह. भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा। **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश कुमार व वकील प्रतिवादीगण 1 ता 11 श्री जाकिर हुसैन एवं राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता स0 93 / 10 के मुरब्बा न0 51 के किला न0 18,19,20,21,22,23, मु0न0 52 के किला न0 52 के किला न0 16,25, मु0न0 53 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25, मु0न0 54 के किला न0 1, 2, 3, 6 ता 25 मु0न0 62 किला न0 1 ता 5, मु0न0 63 के किला न0 3, 4, 5 इस प्रकार कुल किता 54 कुल क्षैत्रफल 13.6620 हैक्टैयर, कृषि भूमि में श्योलाल के 1 / 16 हिस्सा का, श्योलाल के स्थान पर वादी खातेदार कास्तकार व इसी प्रकार चक 7 बरानी के खाता स0 146 / 9 के मु0न0 3 के किला न0 3,4,5, मु0न0 4 के किला न0 1, 2, 9 कुल 1.5180 हैक्टेयर में श्योलाल के 1 / 16 हिस्सा का, श्योलाल के स्थान पर वादी खातेदार कास्तकार है व इसीनुसार श्योलाल का नाम उपरोक्त राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर श्योलाल के स्थान पर वादी का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....18/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़